



दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
03 ⁰⁸ / ₁₉	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक रामसिंह सिंक्, पिता- स्व0 मौटा सिंक्, ग्राम- जयपुर, थाना- हाटगम्हरिया, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- जयपुर, थाना- 429, खाता नं0- 313, प्लॉट नं0- 1657, रक्बा- 0.48 एकड़ भूमि क्रेता माधुरी सिंक्, पति- अमरनाथ सिंक्, ग्राम- जयपुर, थाना- हाटगम्हरिया के पास में विक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की विक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 165, दिनांक- 18.07.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने एवं अन्य धरेलु कार्य हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता माधुरी सिंक्, पति- अमरनाथ सिंक्, ग्राम- जयपुर, थाना- हाटगम्हरिया, के पास 2,40,000.00/- (दो लाख चालीस हजार) रुपये में विक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना हाटगम्हरिया के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की विक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 15.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता रामसिंह सिंक्, पिता- स्व0 मौटा सिंक्, ग्राम- जयपुर, क्रेता माधुरी सिंक्, पति- अमरनाथ सिंक्, ग्राम- जयपुर के पास 2,40,000.00/- (दो लाख चालीस हजार) में मौजा- जयपुर, थाना- 429, खाता नं0- 313, प्लॉट नं0- 1657, रक्बा- 0.48 एकड़ भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी, अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की <u>अनुमति</u> दी जाती है।</p> <p>लेखापित।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>	